सं0–225 / xxviii –5–2006–140 / 2002

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल,देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–5

देहरादूनः दिनांक 24 मार्च,2006

विषयः वित्तीय वर्ष 2005–06 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साहिया, जनपद देहरादून के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7ध / 1 / सी0एच0सी0 / 74 / 2001 / 5941 दिनांक 28.02.2006 के संदर्भ में तथा शासनादेश स0–827 / चि–3–2001–140 / 2002 दिनांक 16.11.2002, स0–1543 / चि–3–2003–140 / 2002दिनांक 6.01.2004,स0–671 / xxviii–5–2005–140 / 2002 दिनांक 11.11.2004 तथा स0–503 / xxviii (3)–2005–140 / 2002 दिनांक 30.03.2005 तथा स0–462 / xxviii –5– 2002–140 / 2002 दिनांक 4.02.2006, जिसके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साहिया, जनपद देहरादून में पुनरीक्षित आगणन रू0 175,70,000.00 पर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005–06 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साहिया, देहरादून के अवशेष भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रू010,70,000.00(रू0 दस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2– उक्त कार्य की लागत किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं की जायेगी तथा शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी ।

3– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा । स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत रहेगी ।

4– उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिय जायें। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा ।

5– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाउचर संख्या व दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी ।

6– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

7– धनराशि उन्हीं योजनाओं में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृति की जा रही है।

8– स्वीकृत धनराशि को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

9– उक्त व्यय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें–आयोजनागत 104–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 0301–सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण(बालू अंश) 24–बृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0–15 के कॉलम 1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–127/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/दिनांक 22.03.6 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्न यथोपरि

भवदीय

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0–225(1)/xxviii–5–2006–140/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, गाजरा देहरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून ।
3– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य, चिकित्साधिकारी, देहरादून।
6– परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम उत्तरांचल।
7– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
8– निजी सचिव मा0 मुख्यमत्री ।
9– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0 ।
10– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश सं0–225 / xxviii–(3)–5–2006–140 / 2002 दिनांक: 24-05-2006 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम सं0	योजना का नाम	मूल लागत	पुनरीक्षित लागत	अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 205–06 में स्वीकृत धनराशि
1	प्रा0स्वा0केन्द्र साहिया जनपद देहरादून का भवन निर्माण	165.00	175.70	165.00	10.70
	योग	165.00	175.70	165.00	10.70

(रू0 दस लाख सत्तर हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव

प्रशासनिक विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (वित्तीय वर्ष 2005-06)

प्रपत्र - 158 अनुदान संख्या-12

बी0एम0-15

पुर्नविनियोजन का आवेदक पत्र (हजार रुपये में)

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तरांचल देहरादून ।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)	पुर्न-विनियोजन के बाद के स्तम्भ-5 को कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (1-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय -आयोजनागत				4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत			(क)बजट प्राविधान आवश्यकता से अधिक होने के कारण । (ख) बजट प्राविधान पर्याप्त न होने के कारण ।
01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें				02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
110-अस्पताल तथा औषधालय				104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र			
17-अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण				03-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
24-वृहत निर्माण कार्य-50000	4090		45910(क)	0301-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण(वास्तु अंश)			
		-		24-वृहत निर्माण कार्य-1070	52058	48930	
योग- 50000	4090	-	45910	1070	52058	48930	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोजन में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(अतर सिंह)
उप सचिव